प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01191/2022-2023 दिनांक 08/09/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/JUN/09299
/2022-2023 पत्रावली संख्या:V-51899 दिनांक:2017-2018

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **श्री बालाजी शिक्षा समिति, ग्रा0 तिवरान, पो0 बाजार नेवढ़िया, तह0 मड़ियाहूँ, जिला-जौनपुर, उ.प्र. 222128, जौनपुर, 222128** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या-255/2017-18 दिनांक-17/05/2017 को दिनांक-17/05/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1250 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(MANGALESH SINGH PALIWAL)
A3AEB9E282C2AF3048C700F4171C5E6A98948B9A
Date: 08/09/2022 2:48:27 PM, Location: Varanasi.

जारी करने का दिनांक-08/09/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

(1)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AD 652751

[illegible]
[illegible] 05.10.22 को [illegible]
[illegible]

कार्यालय सहायक निबन्धक सोसाइटी उ०प्र०
सत्यमेव जयते
वाराणसी क्षेत्र वाराणसी

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

19/5/25

क्रमांक संख्या.. १६१५

स्टाम्प विक्रय की तिथि.............................. १५-५-९६

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........................

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता...................... श्री बजरंगी शिक्षा समिति देवादेया, मोहम्मदपुर जौनपुर

स्टाम्प की धनराशि.........[illegible]......रुपये.........

स्टाम्प विक्रेता का पूरा नाम - नादिर अली

लाइसेन्स नम्बर - 37/42/02/20/40

अधिकृत विक्रय करने का स्थान व पूरा पता - दिवानी न्यायालय वाराणसी

②

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 19AD 652752

[illegible]

कार्यालय सहायक निबन्धक सोसाइटी उ0प्र0
सत्यमेव जयते
वाराणसी क्षेत्र वाराणसी

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

19/5/23

क्रमांक संख्या... ९६७६
स्टाम्प विक्रय की तिथि... ४-५-९८
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता...
स्टाम्प की धनराशि...
स्टाम्प विक्रेता का पूरा नाम - नादिर अली
लाइसेन्स नम्बर - 37/42/02/20/40
अधिकृत विक्रय करने - दिवानी न्यायालय
का स्थान व पूरा पता - वाराणसी

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : श्री बालाजी शिक्षा समिति
2. संस्था का पता : ग्रा0–तिवरान पो0–बाजार नेवढ़िया तह0 मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर, पिन कोड–222128
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य :– संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होगें :–

1. बालक, बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के विद्यालय की स्थापना करना तथा उसका संचालन करना।
2. बालक/बालिकाओं के लिये कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर, औद्योगिक, प्रौद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा की जानकारी प्रदान करना एवं उन्हें स्वंय रोजगार पूरक बनाने का प्रयास करना।
3. नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं का ज्ञान कराना।
4. समाज कल्याण विभाग तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड सिफ्सा, कपाट, नाबार्ड, जिला ग्राम्य विभाग, नेड़ा, डूडा सूडा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित बाल एवं महिला कल्याण कार्यक्रमों का भागीदारी करना।
5. विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्रों की निःशुल्क स्थापना करना एवं विकलांगों के विद्यालय की व्यवस्था करना।
6. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निःशुल्क आयोजन करना एवं संगीत विद्यालय की स्थापना करना।
7. पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता एवं प्रदूषण से होने वाले नुकसान पर प्रदर्शनी, शिविर का आयोजन एवं वृक्षारोपण कराना।
8. कृषि पैदावार को बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के शिविर, प्रदर्शनी, प्रशिक्षण कार्यशाला एवं आयोजन तथा उच्च कोटि के बीजों का प्रदर्शन करना।
9. सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, नशा तथा दहेज प्रथा धुम्रपान, जुआ तथा नशीली दवाओं का प्रयोग आदि के साथ–साथ समाज में फैले अन्धविश्वास, छुआ–छूत आदि रीति रिवाजों को दूर करना।
10. गरीब एवं असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन व कम्बल वितरण करने का प्रयास करना।
11. पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के अनुसार उनकी सहायता करना एवं उन्हें निःशुल्क मार्गदर्शन देना।
12. गरीब असहाय, आदिवासी, वनवासी क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा देना व सदाचार एवं आध्यात्मिक विकास हेतु सुव्यवस्थित पुस्तकालय, वाचनालय एवं क्रीड़ा स्थल की निःशुल्क व्यवस्था करना।
13. चिकित्सा के क्षेत्र में निःशुल्क सुविधा प्रदान कर लोगों को विभिन्न भंयकर विमारियों जैसे–कैंसर, तपेदिक मलेरिया, मोतिया बिन्द, एड्स, पल्स पोलियों, टीकाकरण तथा हेपेटाइटिस जैसे भयंकर विमारियों के बारे में लोगों को जानकारी देना।
14. बाल श्रम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके बालकों को शिक्षित करना तथा उन्हें स्वतः रोजगार हेतु प्रेरित करना।
15. दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।
16. स्वंय सहायता समूह का गठन करना तथा असहाय निर्धन महिला श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्य करना।
17. युवक/युवतियों के विकास के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कटाई, पेन्टिंग, ब्यूटी पार्लर, काष्ट कलॉ आदि की शिक्षण एवं हस्त शिल्प के शिक्षण/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
18. सरकार द्वारा चलायी जा रही साफ सफाई कार्यक्रमों में सहभागिता प्रदान करना।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता, पति का नाम पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्य भार सौपा गया है।

क्र.सं.	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	गायत्री तिवारी पुत्र प्रभाकर तिवारी	ग्रा0–तिवरान पो0–बाजार नेवढ़िया जिला–जौनपुर (उ0प्र0)	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	धीरज कुमार तिवारी पुत्र गायत्री तिवारी	ग्रा0–तिवरान पो0–बाजार नेवढ़िया जिला–जौनपुर (उ0प्र0)	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	चन्दन तिवारी पुत्र गायत्री तिवारी	ग्रा0–तिवरान पो0–बाजार नेवढ़िया जिला–जौनपुर (उ0प्र0)	प्रबन्धक/ सचिव	समाजसेवा
4.	ज्ञानमती देवी पत्नी चन्दन तिवारी	ग्रा0–तिवरान पो0–बाजार नेवढ़िया जिला–जौनपुर (उ0प्र0)	कोषाध्यक्ष	कृषि
5.	सुशीला पत्नी गायत्री तिवारी	ग्रा0–तिवरान पो0–बाजार नेवढ़िया जिला–जौनपुर (उ0प्र0)	सदस्य	कृषि
6.	पूजा तिवारी पत्नी धीरज कुमार तिवारी	ग्रा0–तिवरान पो0–बाजार नेवढ़िया जिला–जौनपुर (उ0प्र0)	सदस्य	कृषि
7.	अनारकली पत्नी जनार्दन तिवारी	ग्रा0–तिवरान पो0–बाजार नेवढ़िया जिला–जौनपुर (उ0प्र0)	सदस्य	कृषि
8.	हंस कुमार दुबे पुत्र लालता प्रसाद दुबे	ग्रा0–करॉव पो0–नहोरा, जिला–जौनपुर (उ0प्र0)	सदस्य	कृषि
9.	सन्तोष पाठक पुत्र ज्ञानचन्द पाठक	म.नं. 201/5 कृष्णानगर रेवाड़ी हरियाणा, पिन कोड–123401	सदस्य	कृषि

6. हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता उपर्युक्त स्मृति पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजि0 अधिनियम की धारा 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण कराना चाहते है।

दिनांक:-------

हस्ताक्षर....

Chandan

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

नियमावली

1. संस्था का नाम : श्री बालाजी शिक्षा समिति
2. संस्था का पता : ग्रा0–तिवरान पो0–बाजार नेवढ़िया तह0 मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर, पिन कोड–222128
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :–

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी।

आजीवन सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 2000/–रू0 नगद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देगें वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें।

सामान्य सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 100/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेगें वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेगें।

5. सदस्यता की समाप्ति : निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।
   1. मृत्यु हो जाने पर।
   2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
   3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
   4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग–पत्र प्राप्त होने पर।
   5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
   6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
   7. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
6. संस्था के अंग : (अ) साधारण सभा
   (ब) प्रबन्धकारिणी समिति
7. साधारण सभा
   (क) गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं. चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा।
   (ख) बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्कतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है।
   (ग) सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक के लिए सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।
   (घ) गणपूर्ति : साधारण सभा की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि
कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

कार्यालय सहायक निबन्धक सोसाइटी वाराणसी क्षेत्र वाराणसी सत्यमेव जयते

(ङ.) संस्था का वार्षिक अधिवेशनः—

संस्था का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार संस्था के कार्यालय पर हुआ करेगी।

(च) साधारण सभा के कर्तव्यः—

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विचार के लिये भेजे गये प्रस्तावों, मामलों आदि पर विचार करना।
2.. संस्था की स्थापना नीति, उसके कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्धारण करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन करना।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया के लिये स्वीकृति प्रदान करना।

8. प्रबन्धकारिणी समितिः—

(क) गठन :— प्रबन्धसमिति का गठन साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव, कोषाध्यक्ष के अलावा 5 प्रबन्ध समिति के सदस्य होगें।

(ख) बैठके :— प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि :— प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 7 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 1 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(घ) गणपूर्ति :— प्रबन्ध समिति की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

(ङ.) रिक्त स्थानों की पूर्ति :— प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा साधारण सभा के सदस्यों में से किसी योग्य सदस्य का निर्वाचन शेष अवधि के लिये कर लिया जायेगा।

(च) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य व अधिकारः—

1. संस्था के बजट पर विचार कर उसे स्वीकृत करना।
2. संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिये उपसमितियों का गठन करना।
3. संस्था के लिये दान, अनुदान, चन्दे आदि प्राप्त करना।
4. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना तथा निष्कासित करना।
5. संस्था के लिये चल अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना।

सत्य प्रतिलिपि
कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

6. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।
7. संस्था अपनी सम्बन्धित प्रापर्टी पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन ले सकती है।

(छ) कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः-

अध्यक्षः-
1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत दान होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
3. बैठक करने के लिये प्रबन्धक/सचिव के राय से दिनांकों का अनुमोदन करेगा।
4. संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

उपाध्यक्षः- अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

प्रबन्धक/सचिव :-
1. संस्था के लिये दान अनुदान चन्दे आदि को प्राप्त करना तथा उसके लिये यथाविधि रसीदें देना।
2. आवश्यकतानुसार सामान्य व विशेष बैठक बुलाना तथा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करना।
3. बैठक करने के लिये सभी सदस्यों को सूचनाये देना तथा बैठक में की गयी कार्यवाही को लिखना।
4. संस्था से सम्बन्धित कागज़ात एवं प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
5. वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशियों आदि का भुगतान स्वीकृत करना।
6. वैतनिक कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
7. अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना।
8. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
9. संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

सहायक निबन्धक सोसाइटी उ० प्र० वाराणसी क्षेत्र वाराणसी
सत्यमेव जयते

Chandan
लक्ष्मी तिवारी
सोनमती देवी
सुरोज
पूजा तिवारी
अनार कली
हरी कुमार दुबे

कोषाध्यक्षः-
1. संस्था के आय-व्यय का हिसाब किताब तैयार करना।
2. संस्था के आय-व्यय की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना।
3. प्रबन्धक/सचिव के आदेशानुसार समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करना।

सत्य प्रतिलिपि
कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

10. <u>संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रियाः–</u>

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संसोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

11. <u>संस्था का कोषः–</u>

किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

12. <u>संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षणः–</u>

संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय–व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) कराई जायेगी।

13. <u>संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्वः–</u>

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/सचिव पर होगा।

14. <u>संस्था के अभिलेखः–</u>

संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होगा।

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. सदस्यता रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैश बुक आदि

15. <u>संस्था के विघटनः–</u>

संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक..................

<u>सत्य–प्रतिलिपि</u>

हस्ताक्षर...........

Chandan

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबंधक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता...............
मिलान कर्ता...............

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 801813

यह जनरल स्टाम्प पेपर संस्था श्री बालाजी शिक्षा समिति जौनपुर पत्रावली V-51899 की संशोधित नियमावली के साथ संलग्न/

कार्यालय सहायक निबन्धक सोसाइटी उ०प्र० वाराणसी क्षेत्र वाराणसी
सत्यमेव जयते

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी
16-11-2022

2816

5/8/26

सहायक विक्रय कर अधिकारी खंड विक्रय
वाराणसी वाद चलान [illegible] जौनपुर

सुशील दत्त चौबे
स्टाम्प विक्रेता
लाo नं० 189/153/40/22
कलेक्टर कोर्ट, वाराणसी

Chandan

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : श्री बालाजी शिक्षा समिति

2. संस्था का पता : ग्राम–तिवरान पोस्ट–बाजार नेवढ़िया तह0 मड़ियाहूँ जिला–जौनपुर, पिन कोड–222128

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी।

आजीवन सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 2000/–रू0 नकद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

सामान्य सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 100/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगे।

5. सदस्यता की समाप्ति : निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग–पत्र प्राप्त होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
7. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

(कार्यालय सहायक निबन्धक सोसाइटी ... क्षेत्र वाराणसी)

6. संस्था के अंग : (अ) साधारण सभा
(ब) प्रबंधकारिणी समिति

7. साधारण सभा :

(क) गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कॉलम नं0 चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

(ख) बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक के लिए सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(घ) गणपूर्ति : साधारण सभा की सामान्यव विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि
कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी
Chandan
16-11-2022

पूजा तिवारी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

(ड़) संस्था का वार्षिक अधिवेशनः

संस्था का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार संस्था के कार्यालय पर हुआ करेगी।

(च) साधारण सभा के कर्तव्यः–

1. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विचार के लिए भेजे गये प्रस्तावों, मामलों आदि पर विचार करना।
2. संस्था का स्थापना नीति, उसके कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्धारण करना।
3. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन करना।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया के लिए स्वीकृति प्रदान करना।

8. प्रबंधकारिणी समिति :

(क) गठन : प्रबंधसमिति का गठन साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक/सचिव, कोषाध्यक्ष के अलावा 5 प्रबंध समिति के सदस्य होगें।

(ख) बैठकें : प्रबंधसमिति की सामान्य बैठक वर्श में एक बार तथा विषेश आवष्यक बैठक किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि : प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 7 दिन पूर्व तथा विषेश आवष्यक बैठक की सूचना बैठक से 1 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(घ) गणपूर्ति : प्रबंधसमिति की सामान्य व विशेष आवष्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

(ड़) रिक्त स्थानों की पूर्तिः

प्रबंधकारिणी समिमि में किसी भी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा साधारण सभा के सदस्यों में से किसी योग्य सदस्य का निर्वाचन षेश अवधि के लिए कर लिया जायेगा।

(च) प्रबंधकारिणी समिति के कर्तव्य व अधिकार :

1. संस्था के बजट पर विचार कर उसे स्वीकृत करना।
2. संस्था के सुचारु रूप से संचालन के लिए उपसमितियों का गठन करना।
3. संस्था के लिए दान, अनुदान, चन्दे आदि प्राप्त करना।
4. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना तथा निश्कासित करना।
5. संस्था के लिए चल–अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना।

सत्य प्रतिलिपि
कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

6. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।
7. संस्था अपनी सम्बन्धित प्रापर्टी पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन ले सकती है।

(छ) कार्यकाल : प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा।

9. **प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :**

अध्यक्ष
1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मतदान होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
3. बैठक करने के लिए प्रबंधक/सचिव के अनुमति से दिनांकों का अनुमोदन करेगा।
4. संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

प्रबंधक/सचिव :
1. संस्था के लिए दान अनुदान, चन्दे, सदस्यता शुल्क आदि को प्राप्त करना तथा उसके लिए यथाविधि रसीदें देना।
2. आवश्यकतानुसार सामान्य व विशेष बैठक बुलाना तथा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करना।
3. बैठक करने के लिए सभी सदस्यों को सूचनाएं देना तथा बैठक में की गयी कार्यवाही को लिखना।
4. संस्था से सम्बन्धित कागजात एवं प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
5. वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशियों आदि का भुगतान स्वीकृत करना।
6. वैतनिक कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
7. अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना।
8. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
9. संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

कोषाध्यक्ष :
1. संस्था के आय–व्यय का हिसाब–किताब तैयार करना।
2. संस्था आय–व्यय की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना।
3. प्रबंधक/सचिव के आदेशानुसार समस्त धन

सत्य प्रतिलिपि
कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

सुशीला Chandan शान्मती देवी पूजा तिवारी
प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

3. प्रबंधक/सचिव के आदेशानुसार समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करना।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

11. संस्था के कोष : किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबंधक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण :

संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबंधकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय–व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) कराई जायेगी।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध न्यायालीय कार्यवाही का उत्तरदायित्व :

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधक/सचिव पर होगा।

14. संस्था के अभिलेख : संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होगा–

1. कार्यवाही रजिस्टर।
2. सदस्यता रजिस्टर।
3. स्टाक रजिस्टर।
4. कैश बुक आदि

15. संस्था के विघटन : संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

16. प्रतिबन्ध :

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा–निदेशन द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि
कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता

Chandan सुशील ज्ञानमती देवी पूजा तिवारी

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ङ) संस्था द्वारा शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियम/विनियम जो भी निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेंगी।

(ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओ में रखा जायेगा यदि हाँ तो अपना प्रबंधीकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम 1 से 8 तक स्वीकार करें।

सत्य-प्रतिलिपि

हस्ताक्षर ....

दिनांक :....................

ज्ञानमती देवी

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक,
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी
16-11-2022

सुशीला

पूजा तिवारी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता